19/12/10

वकील वादी के आवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थ वकील वादी ने हीरालाल व्यास प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान के मध्य समझौता हो गया है तथा चाहते हैं कि डिक्री स्वीकृत किया जावे।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया पक्षकारान के मध्य समझौता हो गया है अतः चाहिये डिक्री वादी का वाद स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner